न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

वाद वास्ते विभाजन, घोषणा खातेदारी वाद अधीन धारा 53, 88 आर.टी. एक्ट

वाद संख्या :– 52/2018

वादी	प्रतिवादी
गणपत पुत्र श्री रतनाराम जाति जॉट निवासी खरनाल तहसील मूण्डवा जिला नागौर, राजस्थान।	1. सुखराम पुत्र रतनाराम 2. चन्दाराम पुत्र रतनाराम 3. रविन्द्र पुत्र सुखराम 4. राजू पुत्री रतनाराम 5. संतोष पुत्री रतनाराम 6. मनीराम पुत्र बद्रीराम 7. कानाराम पुत्र बद्रीराम 8. बाउड़ी पत्नी रामनिवास 9. सुरेश पुत्र मड़ाराम 10. दीनाराम पुत्र मड़ाराम 11. शोभा पत्नी महेन्द्र जातियान जाट निवासीगण खरनाल तहसील मूण्डवा जिला नागौर, राज0 12. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा

उपस्थिति 1. वादीगण की ओर से श्री रिद्धकरण धोलिया एडवोकेट।

2. प्रतिवादी की ओर से श्री हरदेव चौयल एडवोकेट।

निर्णय दिनांक :– 27.07.2021

1– वादी ने वाद पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य रहे है, जो स्व. श्री धूलाराम के विधिक उत्तराधिकारी है जिनके नाम पुश्तैनी हक कब्जे काश्त खातेदारी के व पुश्तैनी आय से खरीद सुदा कब्जा सुदा बंट सुदा खेताय मौजा खरनाल के खसरा नम्बर 398 रकबा 23–16 बीघा, खसरा नम्बर 399 रकबा 31–11 बीघा, खसरा नम्बर 415 रकबा 14–08 बीघा, खसरा नम्बर 167 रकबा 8–05 बीघा, खसरा नम्बर 413 रकबा 4–05 बीघा, खसरा नम्बर 414 रकबा 2–17 बीघा, खसरा नम्बर 387 रकबा 24–11 बीघा व खसरा नम्बर 394 रकबा 3–07 बीघा भूमि स्थित है। पक्षकारान बंटवाड़ा स्कीम अनुसार व खतौनी में खरीद व बख्शीश से दर्ज खातेदारी अनुसार काबिज है। अलग–अलग सहमति से अलग–अलग काबिज

सहायक कलक्टर (मु) नागौर

होने तथा जमाबंदी में अलग–अलग दर्ज होने से सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलने से मौजा खरनाल तहसील मूण्डवा में पैदा हुआ।

वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि निम्न बंट कब्जा काश्त खातेदारी के होना घोषित करने की इस्तदुआ की है–

1. कि ख.न. 398 रकबा 22–09–12 बीघा मौजा खरनाल वादी गणपत के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जावें।
2. कि ख.न. 399 रकबा 31–11 बीघा पूरा वाके मौजा खरनाल प्रतिवादी सुखराम के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जावें।
3. कि ख.न. 167 रकबा 8–05 बीघा प्रतिवादी सं. 6 से 11 के संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी के घोषित किये जावें।
4. खेत ख.न. 415 रकबा 14–08 बीघा प्रतिवादी सं 2 चन्दाराम के बंट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित किया जावें।
5. दीगर खेताय जिस अनुसार खतौनियों में दर्ज है उन्हीं के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी के दर्ज किया जावें।

दिनांक 20.07.2018 को प्रतिवादी सं. 2 से 7 तथा 9 से 11 की ओर से वकील हरदेवराम चोयल ने वकालतनामा, इकबाली जवाब तथा राजीनामा पेश किया गया। इसी प्रकार दिनांक 23.07.2018 को प्रतिवादी सं 1 व 8 की ओर से वकालतनामा, इकबाली जवाब व राजीनामा पेश किया गया।

प्रतिवादी सं. 12 तहसीलदार मूण्डवा का सम्मन पेशी दिनांक 15.02.2021 की पेशी का तामिल सुदा प्राप्त हुआ लेकिन कोई जवाब पेश नहीं हुआ।

आज उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पक्षकारान दावे, इकबाली जवाब व राजीनामा के अनुसार बंटवाड़ा व खातेदारी घोषणा चाहते है। अतः इकबाली जवाब व राजीनामा अनुसार निम्नानुसार दावा डिक्री किया जाता है–

1. ख.न. 398 रकबा 22–09–12 बीघा मौजा खरनाल वादी गणपत के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है।
2. ख.न. 399 रकबा 31–11 बीघा पूरा वाके मौजा खरनाल प्रतिवादी सुखराम के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है।
3. ख.न. 167 रकबा 8–05 बीघा प्रतिवादी सं. 6 से 11 के संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी के घोषित किये जाते है।

सहायक कलक्टर (मु)
नागौर

4. खेत ख.न. 415 रकबा 14-08 बीघा प्रतिवादी सं. 2 चन्दाराम के बट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित किया जाता है।

5. दीगर खेताय जिस अनुसार खतौनियों में दर्ज है उन्हीं के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी में यथावत रहेगा।

इसी अनुसार डिक्री जारी की जावें। रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नागौर को तेहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **27.07.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर